राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3193/2023
उम्मेदी लाल कोली

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गुण नियन्त्रण, जयपुर।
4. अधिक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत प्रथम कोटा।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> ''अतः श्रीमान के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी को 1985 से स्थाई माना जावे एवं कार्यालय सहायक से लेकर संस्थापन अधिकारी तक की संशोधित डीपीसी पुनः करवाकर दिनांक 08.03.2019 से प्रशासनिक अधिकारी एवं 01.04.2020 से संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाकर समस्त लाभ परिलाभ मय ब्याज 18 प्रतिशत दिलवाया जावे। अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे दिलवाया जावे।''

2. अपीलार्थी दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्त हो चुका है। सेवानिवृत्ति के तीन वर्ष पश्चात अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलार्थी ने वर्ष 1995 से स्थायी माने जाने की प्रार्थना की है और कार्यालय सहायक से संस्थान अधिकारी तक समस्त डीपीसी को पुनः कराने की प्रार्थना की है। स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की यह अपील न सिर्फ मियाद अवधि के बाहर है, बल्कि अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब किया है, जिसका कोई उचित कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

3. परिणामतः यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)